"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004—आश्विन 30, शक 1926

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अ. वि. अ., रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक/51/(अ.वि.अ.) ट्रस्ट/04.—चूंकि श्री राजकुमार दम्मानी पिता स्व. मोहनदास दम्मानी, रामसागर पारा, रायपुर ने म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (27 जून 1951) की धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र दिया है.

अतएव सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 10-7-2004 को होगी.

2. यदि किसी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और इस ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस सूचना के निकालने के 30 दिवस के भीतर में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन स्वतः या अपने वकील अथवा एजेंट के द्वारा उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि समाप्त होने पर प्रस्तुत किए गए आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम : दम्मानी जनसेवा ट्रस्ट दम्मानी काम्पलेक्स, मकान नं. 189, रामसागर पारा, रायपुर (छ. ग.).

2. चल संपत्ति : जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर खा. क्र. 2192 में जमा राशि 10,000 (दस हजार रुपये मात्र).

3. अचल संपत्ति : निरंक

के. के. बक्शी,
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.